"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/21/2010/वाक़/पांच (25).—छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट होटल धारकों के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2011 तक की कालावधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	होटल धारकों की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	जहां होटल में प्रतिदिन विलासिता देने का प्रभार पांच सौ रुपये से कम हो.	धारा 4 के अधीन सम्पूर्ण कर
2.	जहां होटल में प्रतिदिन विलासिता देने का प्रभार पांच सौ रुपये या अधिक, किंतु दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक न हो.	अंशत: जिससे धारा 4 के अधीन कर की दर घटकर 5% हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/21/2010/वाक/पांच (25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/21/2010/वाक/पांच (25), दिनांक 26-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/21/2010/CT/V (25).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government hereby exempts the class of hotelier specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2010 to 31-03-2011 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of hotelier (2)	Extent of exemption (3)
1.	Where the charge for luxury provided in a hotel per day is less than rupees five hundred.	Whole of tax under section 4.
2.	Where the charge for luxury provided in a hotel per day is rupees five hundred or more but does not exceed rupees two thousand and five hundred.	Partly so as to reduce the rate of tax under section 4 to 5%.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/22/2010/वाक/पांच (26).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 01-04-2010 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2010" के स्थान पर अंक "2011" प्रतिस्थापित किया जाय :—

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16)	30-03-2006
2.	एफ-10/24/2006/वाक/पांच (29)	12-04-2006
3.	एफ-10/64/2006/वाक/पांच (56)	14-06-2006

(1)	(2)	(3)
4.	एफ-10/27/2008/वाक/पांच (19)	28-03-2008
5.	एफ-10/33/2008/वाक/पांच (27)	31-03-2008
6.	एफ-10/49/2008/वाक/पांच (38)	25-06-2008
7.	एफ-10/64/2008/वाक/पांच (53)	27-09-2008
8.	एफ-10/03/2009/वाक/पांच (08)	27-01-2009
9.	एफ-10/15/2009/वाक/पांच (25)	27-05-2009
10.	एफ-10/15/2009/वाक/पांच (26)	27-05-2009

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/22/2010/वाक/पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/22/2010/वाक/पांच (26), दिनांक 26-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/22/2010/CT/V (26).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2010 :—

AMENDMENT

In the following notification for the figure "2010" related to period of the notification, the figure "2011" shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	F-10/28/2006/CT/V (16)	30-03-2006
2.	F-10/24/2006/CT/V (29)	12-04-2006
3.	F-10/64/2006/CT/V (56)	14-06-2006
4.	F-10/27/2008/CT/V (19)	28-03-2008
5.	F-10/33/2008/CT/V (27)	31-03-2008
6.	F-10/49/2008/CT/V (38)	25-06-2008
7.	F-10/64/2008/CT/V (53)	27-09-2008
8.	F-10/03/2009/CT/V (08)	27-01-2009
9.	F-10/15/2009/CT/V (25)	27-05-2009
10.	F-10/15/2009/CT/V (26)	27-05-2009

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/23/2010/वाक/पांच (27).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा दिनांक 01-04-2010 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2010" के स्थान पर अंक "2011" प्रतिस्थापित किया जाय :—

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	ए-3/28/2000/वि.क./पांच (33)	13-04-2000
2.	एफ-10/20/2003/वाक/पांच (39)	01-05-2003
3.	एफ-10/70/2003/वाक/पांच (93)	06-10-2003
4.	एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17)	30-03-2006
5.	एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50)	28-04-2006
6.	एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24)	02-04-2007

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/23/2010/वाक/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2010/वाक/पांच (27), दिनांक 26-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/23/2010/CT/V (27).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 1st April, 2010 :—

AMENDMENT

In the following notifications for the figure related to period of the notification "2010" the figure "2011"

shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	A-3-28/2000/S.T./V (33)	13-04-2000
2.	F-10/20/2003/CT/V (39)	01-05-2003
3.	F-10/70/2003/CT/V (93)	06-10-2003
4.	F-10/29/2006/CT/V (17)	30-03-2006
5.	F-10/58/2006/CT/V (50)	28-04-2006
6.	F-10-33/2007/CT/V (24)	02-04-2007

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/24/2010/वाक/पांच (28).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2009 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी नियत समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है. कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, न्याय हित में यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये नियत समय-सीमा बढ़ाई जाए.

अत: छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, जो 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 31 मई, 2010 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/24/2010/वाक/पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2010/वाक/पांच (28), दिनांक 26-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/24/2010/CT/V (28).—Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2009 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government, hereby, extends up to 31st May, 2010, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by 31st March, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/26/2010/वाक/पांच (29).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2011 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	केरोसिन विग (बत्ती) एवं केरोसिन स्टोव	संपूर्ण कर
2.	तले चने एवं भुने चने	संपूर्ण कर
3.	कपूर	संपूर्ण कर
4.	पके अन्न (कुक्ड फुड)	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घट कर 5 प्रतिशत हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/26/2010/वाक/पांच (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2010/वाक/पांच (29), दिनांक 26-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/26/2010/CT/V (29).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2010 to 31-03-2011 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Kerosene wig (Batti) and Kerosene stove	Whole of tax
2.	Fried grams ans Parched grams	Whole of tax
3.	Camphor	Whole of tax
4.	Cooked Food	Partly so as to reduce the rate of tax to 5 percent.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/26/2010/वाक/पांच (30).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक कॉलम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2011 तक की कालावधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का विवरण (2)	करमुक्ति सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (4)
(1)	भारतीय महापुरुषों के मुद्रित फोटोग्राफ्स	धारा 8 के अधीन संपूर्ण कर	जबकि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा विक्रय संलग्न प्रारूप में दिये प्रमाण पत्र के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को किया जाय.

परिशिष्ट

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....).

(संस्था का नाम) .... का मैं (नाम व पद/हैसियत) .... पता .... यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित माल मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत .... पंजीयन क्रमांक धारक (व्यवसायी का नाम व पता) .... से क्रय किया गया है.

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उक्त माल का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में विक्रय के लिये है.

क्रय माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/बीजक/कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किये गए माल का विवरण	मात्रा	कीमत रुपये
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल कीमत (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... केवल.

स्थान ....
दिनांक ....

....
क्रेता के हस्ताक्षर, सील एवं हैसियत सहित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/26/2010/वाक/पांच (30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2010/वाक/पांच (30), दिनांक 26-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/26/2010/CT/V (30).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2)

of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2010 to 31-03-2011, subject to the restrictions and condition specified in column (4) :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Printed photographs of Indian great man	whole of tax u/s 8	When sold by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act to the Chhattisgarh Pathya Pustak Nigam against the certificate in the appended form.

APPENDIX

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I (Name & Designation/Status) .... of (Name of the institution) .... Address .... hereby declare that the goods, particulars of which have been given below, have been purchased from (Name and address of the dealer) .... holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act.

I further declare that the purchase of said goods is for sale of the Govt. School of Chhattisgarh State.

Particulars of Goods purchased

Particulars of purchase order/Bill/ Invoice/Cash-memo/Challan		Description of goods purchased	Quantity	Value in Rs.
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... Only.

Place ....

Date ....

Signature of the purchaser with seal and Status

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.